

भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 679
जिसका उत्तर 23 जुलाई, 2025 को दिया जाना है।
1 श्रावण, 1947 (शक)

तमिलनाडु में एसटीपीआई केंद्र

679. श्री नवसकनी के.:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने रामनाथपुरम जिले सहित तमिलनाडु के छोटे शहरों और कस्बों में आईटी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) आज की तारीख तक तमिलनाडु में स्थापित भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) केंद्रों की जिलेवार संख्या कितनी है;
- (ग) इन केंद्रों के माध्यम से स्टार्टअप्स को प्रदान की जाने वाली इनक्यूबेटर सुविधाओं और सहायता का ब्यौरा क्या है;
- (घ) पिछले पाँच वर्षों के दौरान एसटीपीआई योजनोओं के तहत तमिलनाडु में इनक्यूबेटेड और सहायता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या कितनी है;
- (ङ.) क्या राज्य के टियर-II और टियर-III शहरों में नए एसटीपीआई केंद्र प्रस्तावित हैं या विचाराधीन हैं;
- (च) तमिलनाडु में नए एसटीपीआई स्थानों के चयन के लिए अपनाए गए मानदंडों का ब्यौरा क्या है;
- (छ) क्या सरकार ने इन केन्द्रों के माध्यम से राज्य में उद्यम पूंजीपतियों और उद्योग मार्गदर्शकों के साथ साझेदारी की सुविधा प्रदान की है; और
- (ज) तमिलनाडु के कितने स्टार्टअप्स को एसटीपीआई इनक्यूबेशन सहायता के माध्यम से सफलतापूर्वक वित्तपोषण प्राप्त हुआ है या उनका विस्तार हुआ है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ज): भारत में एक मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है जो 280 बिलियन डॉलर से अधिक का वार्षिक राजस्व उत्पन्न करता है और 6 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। आईटी पारिस्थितिकी तंत्र को और विस्तारित करने के लिए, सरकार देश भर में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित कर रही है, जिसमें टियर-II और टियर-III के शहरों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार ने 67 एसटीपीआई केंद्र स्थापित किए हैं, जिनमें से 59 टियर-II और टियर-III श्रेणी के शहरों में हैं। अब तक तमिलनाडु में स्थापित भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों (एसटीपीआई) की जिलेवार संख्या निम्नानुसार है:-

क्र.सं	ज़िला	एसटीपीआई केंद्र
1.	चेन्नई	एसटीपीआई चेन्नई
2.	कोयंबटूर	एसटीपीआई कोयंबटूर
3.	तिरुचिरापल्ली	एसटीपीआई त्रिची
4.	मदुरै	एसटीपीआई मदुरै
5.	तिरुनेलवेली	एसटीपीआई तिरुनेलवेली

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर चेन्नई में आईटमिल नाडु टेक्नोलॉजी (आईटीएनटी) हब लॉन्च किया है। यह एक राज्य स्तरीय डीप-टेक इनोवेशन हब है जो एआई, आईओटी, ईवी, मेड-टेक और साइबर सुरक्षा जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित है।

यह तमिलनाडु भर के स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन, तकनीकी मार्गदर्शन, वित्त पोषण, वर्चुअल प्रोग्राम और उद्योग नेटवर्क तक पहुँच प्रदान करता है। आईटीएनटी हब में, 76 स्टार्टअप्स को इनक्यूबेट किया गया है, 18 उत्पाद लॉन्च किए गए हैं और एक्सेलरेशन प्रोग्राम के माध्यम से 50 स्टार्टअप्स को गति दी गई है।

चेन्नई में, एसटीपीआई ने लगभग 44,794 वर्ग फुट कच्चे इनक्यूबेशन स्पेस और 201 प्लग-एन-प्ले इनक्यूबेशन सीटों की अत्याधुनिक अवसंरचना तैयार की है। इसके अलावा, एसटीपीआई ने फिनटेक में अनुसंधान एवं विकास और उत्पाद नवाचार के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु चेन्नई में फिनब्लू उद्यमिता केंद्र (सीओई) की स्थापना की है।

द फिनब्लू उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) अपनी तरह की पहली इनक्यूबेशन सुविधा के माध्यम से स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम प्रदान करता है, जिसमें वित्तपोषण, अवसंरचना, सैंडबॉक्स, मार्गदर्शन, आईटी सुविधा, प्रौद्योगिकी एवं नियामक सहायता और बाज़ार पहुँच के संदर्भ में सहायता प्रदान की जाती है। तमिलनाडु स्थित एसटीपीआई केंद्र में स्थित यह सुविधा तमिलनाडु के स्टार्टअप्स को सेवाएँ प्रदान कर रही है।

पिछले पाँच वर्षों में चेन्नई में कुल 146 स्टार्टअप्स को इनक्यूबेट और सपोर्ट किया गया है। इनमें से 85 स्टार्टअप्स एसटीपीआई चेन्नई इनक्यूबेशन सुविधा में इनक्यूबेट किए गए हैं और 61 स्टार्टअप्स को एसटीपीआई फिनब्लू सीओई के अंतर्गत सपोर्ट दिया गया है।

एसटीपीआई के पास नए केंद्र स्थापित करने की नीति है। "नए एसटीपीआई केंद्र स्थापित करने की नीति" **अनुबंध-क** में दी गई है।

अनुबंध-क

नए एसटीपीआई केंद्रों की स्थापना हेतु नीति

नए एसटीपीआई केंद्र की स्थापना के लिए, राज्य सरकार/उत्कृष्टता केंद्र/उच्च शिक्षण संस्थान को निम्नलिखित प्रदान करना आवश्यक है:

- न्यूनतम 2 एकड़ विकसित भूमि दीर्घावधि पट्टे पर निःशुल्क या 50,000 वर्ग फुट निर्मित क्षेत्र दीर्घावधि पट्टे पर निःशुल्क, तथा
- स्थान की क्षमता का आकलन करने के लिए एसटीपीआई द्वारा राज्य सरकार/उत्कृष्टता केन्द्रों/उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर व्यवहार्यता अध्ययन की आवश्यकता होगी।
- उपर्युक्त पंक्ति में, यदि राज्य सरकार/उत्कृष्टता केंद्र/उच्च शिक्षण संस्थान न्यूनतम 2 एकड़ भूमि उपलब्ध कराता है, तो एसटीपीआई केंद्र में अवसंरचना विकास और इनक्यूबेशन सुविधाओं की स्थापना के लिए अनुमोदित नीति दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनतम 20,000 वर्ग फीट निर्मित स्थान का निर्माण करेगा।
- जब तक एसटीपीआई भवन का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक यदि राज्य सरकार/उत्कृष्टता केंद्र/उच्च शिक्षण संस्थान उपरोक्त अंशदान के अलावा एसटीपीआई केंद्र का संचालन करने के लिए इच्छुक हैं, तो उन्हें एसटीपीआई को न्यूनतम 10,000 वर्ग फीट का निर्मित स्थान निःशुल्क उपलब्ध कराना होगा।
